तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
25/09/24	अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपा0 बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कानावास तहसील सोजत जिला पाली में खसरा संख्या 80/1 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के पिता हेमाराम पुत्र कुपाराम जाति भाट निवासी कानावास के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी के पिता हेमाराम का देहान्त दिनांक 05.11.2010 को हो गया है। प्रार्थी के अलावा हेमा पुत्र कुपा के कोई संतान/ वारिस नही है। प्रार्थी के माता पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थी का आज दिन तक शांतिपूर्वक, बिना किसी रोक टोक कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी ने रहवास हेतु अपना मकान बनाया तथा हेडपम्प प्रार्थी ने लगवाया है। प्रार्थी के माता व पिता देहान्त होने के बाद पटवारी हल्का ने विधि विरूद्ध ढंग से व मनमाने तरीके से फर्द मौका रिपोर्ट बनाई जिसमे श्रवणराम को हेमाराम का पुत्र न बताते हुए बलाराम का बेटा बता दिया जबकि बलाराम का बेटा बता दिया जबकि बलाराम का श्रवण नाम का कोई पुत्र नही है। पटवारी हल्का विधि विरूद्ध ढंग से किसी अन्य व्यक्ति रतनाराम, घेवरराम, प्रकाश, व प्रेम पिसरान हेमाराम के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि का अनूचित प्रलोभन लेकर म्यूटेशन भरने पर आमादा है, जबकि यह लोक झुझनू के रहने वाले है। यदि ऐसा करने में वे सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक मौजा कानावास के खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि का नामा0 दर्ज नही करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखन नही करने हेतु पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 में स्थित कृषि भूमि कानावास में स्थित है। पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करे। तथा पैरा संख्या 03 से 08 कानूनी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये खसरा नम्बर 80/1 के फौतेदगी नामा0 की कार्यवाही स्थगित करवाना चाहता	

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुआ।

है किन्तु किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नही कर पाया है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है। तहसीलदार द्वारा नामा0 दर्ज करने से पूर्व समस्त विधिक प्रकिया पूरी करने के पश्चात ही नामा0 की कार्यवाही की जाती है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज०)